

राजरथान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ 3(4)आ.प्र.सहा. / स्था / 2012 /

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500746 दिनांक 08.05.2025 के अनुसरण में राज्य के नव गठित 08 जिलों (बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलूबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड और ब्यावर) के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एजेन्सी के माध्यम से राज्य के नव गठित 08 जिलों के लिए 08 यूनिट मैन विद् मशीन (प्रत्येक जिले में 01) रखे जाने की स्वीकृति दिनांक 28.02.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2014 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/ आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।
2. भारत सरकार की एसडीआरएफ गार्डिलाइन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से उक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा:-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा

800- अन्य व्यय

(04)- (कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पोंस)

(04)- [आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण]

41- संविदा व्यय

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ उपशासन सचिव, अति.मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजरथान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राजरथान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date : 10-05-2025 06.04 32

कार्यालय जिला कलेक्टर सहायता, अनुभाग सलूम्वर

क्रमांक:-एफ.04()/आ.प्र.सहा./ भुगतान/2025/547

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.3(04)आ.प्र.एवं सहा/2025 एवं राजकाज पत्रांक 15226653 दिनांक 10.05.2025 द्वारा वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500746 दिनांक 08.05.2025 के अनुसरण में राज्य के नव गठित जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन, प्राधिकरण में कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एजेन्सी के माध्यम से 01 गैन विद् मशीन रखे जाने की स्वीकृति दिनांक 28.02.2026 तक प्रदान की गई है।

अतः कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एजेन्सी, बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर के माध्यम से रखे गए 01 गैन विद् मशीन को माह जूलाई 2025 से माह फरवरी 2026 तक भुगतान किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं	फर्म का नाम	उपस्थिति दिवसों की संख्या माह जूलाई 2025 से फरवरी 2026 तक	कुल भुगतान योग्य राशि रूपयें में
1	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	18	9011/-
2	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	31	15517/-
3	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	30	15517/-अधिकतम
4	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	31	15517/- अधिकतम
5	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	30	15517/- अधिकतम
6	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	31	15517/- अधिकतम
7	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	31	15517/- अधिकतम
8	बिल्डगुड कन्सट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट, नर्सरी मोड, सागवाडा, जिला डुंगरपुर	28	15517/- अधिकतम
कुल योग:-			1,17,630/-

- वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017/दिनांक 30.04.2014 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देशों एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।
- भारत सरकार की एसडीआरएफ गाईडलाइन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से उक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा:-

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण

01-सूखा

800-अन्य व्यय

(04)-कंपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पोंस

(04)-(आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण)

41-संविदा व्यय

(डॉ दिनेश राय सापेला)

अति.जिला कलेक्टर

सलूम्वर

प्रतिलिपि:- लेखाधिकारी/आहरण विवरण अधिकारी, जिला कलेक्टर, सलूम्वर को भेजकर लेख है कि प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर नियमानुसार भुगतान करें एवं लेखा शाखा में आवश्यक रिकार्ड संघारित करावें।

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Designation: Additional District Collector And
Additional District Engineer
Date: 2025.10.16 16:06:26 IST
Reason: Approved

